।। कार्यालय जिलाधिकारी,रूद्रप्रयाग।।

पत्रांक 37 /यात्रा व्यवस्था/कोटेशन–फ्लैक्सी बोर्ड/2016–17 दिनांक 06, अप्रैल 2016

अल्पकालीन कोटेशन सूचना

दिनांक 09 मई, 2016 से जनपद रूद्रप्रयाग में अवस्थित श्री केदारनाथ यात्रा आरम्भ हो रही है। श्री केदारनाथ धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न सूचनाओं को फ्लैक्सी सूचना बोर्ड/फ्लैक्सी सूचना बैनरों के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा वांछित स्थानों पर स्थापित करने हेतु इच्छुक फर्मों/आपूर्तिकर्ताओं से आगामी छः माह के लिए दर सविंदा गठित करने हेतु सीलबन्द कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। कोटेशन जो कि जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग को सम्बोधित हो जिला आपदा प्रबन्धन कार्यालय, कलैक्ट्रेट भवन रूद्रप्रयाग के पते पर **दिनांक 28–04–2016 को (वृहस्पतिवार)को 5.00 बजे तक पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त कराये** जा सकते हैं। **जो 29–04–2016 (शुक्रवार) को पूर्वाह्न 11.00 बजे जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति के सदस्यों** द्वारा उपस्थित **कोटेशनदाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के सम्मुख खोली जायेंगी।** कोटेशन हेतु सीलबन्द लिफाफे के दाहिनी ओर ऊपर की तरफ **"फ्लैक्सी बोर्ड/फ्लैक्सी बैनर हेतु कोटेशन"** लिखना अनिवार्य होगा।

फ्लैक्सी सूचना बोर्ड/फ्लैक्सी सूचना बैनर हेतु Specification निम्न प्रकार है–

क0सं0	सामग्री का नाम	दर प्रति वर्ग फीट
01	फ्लैक्स बोर्ड फ्रेम सहित, बिना गार्डर के ट्रांसपोर्ट लेबर एवं स्थापना सहित (प्रति वर्ग फीट में)	
02	फ्लैक्स बोर्ड गार्डर सहित ट्रांसपोर्ट तथा लेबर एवं स्थापना सहित (प्रति वर्ग फीट में)	
03	फ्लैक्स बैनर (प्रति वर्ग फीट में)	

कोटेशन हेतु विस्तृत नियम एवं शर्तें निम्न प्रकार हैं–

1–आपूर्तिकर्ता फर्म को फ्लैक्स बैनर तथा बोर्ड में प्रयुक्त सामग्री उच्च गुणवत्ता की " स्टार" श्रेणी का प्रयोग करना अनिवार्य होगा, निम्न गुणवत्ता की सामग्री स्वीकार नहीं की जायेगी।

2–इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता को कोटेशन के साथ सेलटैक्स तथा इन्कमटैक्स में पंजीकरण का प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य है।

3–प्रत्येक कोटेशन के साथ रू0 10000.00(दस हजार मात्र) की अर्नेस्टमनी की राशि जो कि बैंक ड्राफ्ट/एन0एस0सी0/एफ0डी0 के रूप में तथा जो कि जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग के नाम बंधक हो,संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4–कोटेशन के साथ रू0 100.00 का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर व रू0 1.00 का हस्ताक्षर युक्त रसीदी टिकट संलग्न करना अनिवार्य है।

5– बिना अर्नेस्टमनी अथवा निर्धारित तिथि तथा समय के बाद प्राप्त कोटेशनों पर विचार नही किया जायेगा।

6–किसी भी कोटेशन अथवा समस्त कोटेशनों को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकारी जिलाधिका रूद्रप्रयाग को होगा।

7–सम्बन्धित फर्म को जिला प्रशासन द्वारा मांग किये जाने पर वांछित फ्लैक्स बोर्ड/बेनर को 02 दिन के अन्तर्गत स्थान सोनप्रयाग में लेबर सहित उपलब्ध कराना होगा तथा चिन्हित स्थानों पर स्थापित करने होंगें।

8–किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में न्याय क्षेत्र रूद्रप्रयाग होगा।

जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग